UPRVUNL

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0

{उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम}

शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार

14, अशोक मार्ग, लखनऊ – 226 001

CIN : U31901UP1985SGC007135

संख्या : 859/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2024/04–मा0सं0(04)/2011 दिनांक : 10/06/2024

कार्यालय ज्ञाप

निगमादेश संख्या 1423/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2011 दिनांक 09.12.2011 एवं 2603/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2021 दिनांक 27.11.2021 द्वारा विभागीय सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों की उत्पादन निगम लिमिटेड चिकित्सा परिषद् की संस्तुति के आधार पर लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु प्राविधानित व्यवस्था को अवक्रमित करते हुये, एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था प्रतिपादित की जाती हैः–

(क) बाह्य रोगी के रूप में लम्बी अवधि तक चलने वाली गम्भीर रोगों के उपचार में औषधियों पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के चिकित्सा संस्थान/मेडिकल कॉलेज/चिकित्सालय के सम्बन्धित रोग के विभागीय रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष (रोग का उपचार करने वाले)/मुख्य चिकित्साधिकारी को ऐसी चिकित्सा में औषधियों पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति की संस्तुति हेतु अर्ह/अधिकृत किया जाता है, और उनके द्वारा बाह्य रोगी हेतु निर्धारित अनिवार्यता प्रमाण पत्र एवं व्यय सम्बन्धी बीजकों के सत्यापन किये जाने के उपरान्त कर्मचारी द्वारा ऐसे बीजकों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य की जायेगी।

(ख) बाह्य रोगी के रूप में लम्बी अवधि तक चलने वाले गम्भीर रोगों हेतु निगम द्वारा अधिकृत/मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार में औषधियों पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निजी सुपर स्पेशियलिटी/एकल विशिष्टिता के चिकित्सालयों के सम्बन्धित रोग विशेषज्ञ/अधिकृत चिकित्सक को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की संस्तुति/सत्यापन हेतु अर्ह/अधिकृत किया जाता है, जिनके द्वारा ऐसे लम्बे उपचार के लिये दिये गये परामर्श के अनुसार निर्धारित औषधियों पर हुये व्यय के बीजकों एवं बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार सम्बन्धी निर्धारित अनिवार्यता प्रमाण पत्र एवं व्यय सम्बन्धी बीजको के सत्यापन किये जाने के उपरान्त कर्मचारी द्वारा ऐसे बीजकों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य की जायेगी।

(ग) बाह्य रोगी के रूप में उपचार हेतु केवल औषधियों/दवाओं पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। रक्त व अन्य परीक्षण/जाँच में हुये व्यय, तथा भोजन/न्यूट्रीशस वैल्यू बढ़ाने सम्बन्धी दवायें/टॉनिक तथा साफ–सफाई/सेनीटेशन आदि से सम्बन्धित व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।

→

(घ) बाह्य रोगी के रूप में किसी भी चिकित्सालय में कराई गई कीमोथेरेपी/रेडियोथेरेपी की चिकित्सा विधि एवं उसमें प्रयुक्त होने वाली दवाओं आदि पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य की जायेगी। सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई की प्रतिपूर्ति तथा डायलिसिस के व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती आदेशों के अन्तर्गत यथावत् अनुमन्य होगी।

अध्यक्ष

संख्याः 859 मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/वित्त/तकनीकी/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर/निजी सचिव।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I), पी0पी0एम0एम0/तापीय परिचालन, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/जवाहरपुर/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/मलावन (एटा)/पनकी।
6. महाप्रबन्धक (मा0सं0)/मुख्य अभियन्ता (स्तर–II)/जानपद नवपरियोजनाएं/पर्यावरण एवं सुरक्षा/ईंधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (स्तर–II), न्यू कोल ब्लाक, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0/46 वी, समाज कल्याण बिल्डिंग, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0/46 वी, समाज कल्याण बिल्डिंग, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. अधीक्षण अभियन्ता (01/03/04/05/06)/टाण्डा वाइंडिग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण/तापीय परिचालन/जानपद उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0–02)/वित्त/लेखा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पृष्ठ संख्या.....2/3

14. मुख्य लेखाधिकारी / उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा / अनपरा / पारीछा / हरदुआगंज / 1×660 मे0वा0, पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा / अनपरा (सोनभद्र) / पारीछा (झाँसी) / हरदुआगंज(अलीगढ़) / पनकी (कानपुर)।
15. वरिष्ठ लेखाधिकारी, के0वि0ले0 एवं ब0सं0, 2×660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0, मलावन (एटा)।
16. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17. उप महाप्रबन्धक / कार्मिक अधिकारी (औद्योगिक सम्बन्ध), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
18. उप मुख्य लेखाधिकारी (कारपोरेट), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
19. मुख्य चिकित्साधिकारी / उप मुख्य चिकित्साधिकारी, ओबरा / अनपरा / पारीछा / हरदुआगंज / 1×660 मे0वा0, पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा / अनपरा(सोनभद्र) / पारीछा(झाँसी) / कासिमपुर(अलीगढ़) / पनकी (कानपुर)।
20. चिकित्साधिकारी, 2×660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0, मलावन (एटा)।
21. कट् फाइल।

आज्ञा से,

10/06/2024

(प्रवीण कुमार)

उप–महाप्रबन्धक (मा0सं0–04)

पृष्ठ संख्या.....3/3